**भारत सरकार**
**रक्षा मंत्रालय**
**रक्षा विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4678**
**28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए**

## बीआरओ कार्मिकों की दुर्घटनाओं में मृत्यु

**4678. श्री असादुद्दीन ओवैसी:**
**श्री प्रद्युत बोरदोलोई:**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) से संबंधित दुर्घटनाओं और अन्य घटनाओं की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्थायी कर्मचारियों और संविदा/असैनिक कामगारों सहित बीआरओ कार्मिकों की मृत्यु और घायल होने की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर अति ऊंचाई और संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में बीआरओ कार्मिकों के समक्ष आने वाले सुरक्षा जोखिमों का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बीआरओ कार्मिकों और असैनिक कामगारों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल, चिकित्सा सहायता और कार्य स्थितियों को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने परिचालन के दौरान घायल/मारे गए बीआरओ कार्मिकों और असैनिक कामगारों के लिए कोई मुआवजा या बीमा योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)**

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में हुई दुर्घटनाओं और अन्य घटनाओं की संख्या इस प्रकार है:-

| क्र.सं. | वर्ष | दुर्घटनाओं और अन्य घटनाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | 44 |
| 2. | 2021 | 34 |
| 3. | 2022 | 46 |
| 4. | 2023 | 40 |
| 5. | 2024 | 37 |

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थायी कर्मचारियों और संविदा/ सिविलियन कामगारों सहित बीआरओ के कार्मिकों की मृत्यु और घायल होने की संख्या इस प्रकार है:-

| क्र.सं. | वर्ष | बीआरओ कार्मिक | | अनियमित रूप से भुगतान किए जाने वाले मजदूर (सीपीएल) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मृत्यु | घायल | मृत्यु | घायल |
| 1. | 2020 | 156 | 25 | 112 | 20 |
| 2. | 2021 | 172 | 20 | 134 | 15 |
| 3. | 2022 | 123 | 15 | 100 | 10 |
| 4. | 2023 | 129 | 18 | 119 | 16 |
| 5. | 2024 | 124 | 15 | 110 | 12 |

(ग) और (घ): जी, हां। बीआरओ ने उच्च तुंगता और संघर्ष प्रवण क्षेत्रों में बीआरओ कार्मिकों की सुरक्षा के लिए मूल्यांकन किया है, जिसमें हिमस्खलन प्रवण क्षेत्रों की मैपिंग, शार्प कर्व एवं स्लाइड प्रवण क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षा बलों के समन्वय से पर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाने, कार्मिकों की सुरक्षा के लिए कार्य-स्थल कैम्पों एवं बंकरों की लोकेशन आदि शामिल हैं।

बीआरओ के कार्मिकों और सीपीएल के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल, चिकित्सा सहायता और कार्य करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। बीआरओ अपने कर्मचारियों और सीपीएल को सुरक्षा जैकेटों, सुरक्षा हेलमेटों, रेनकोटों, बूट, शीतकालीन वस्त्रों इत्यादि जैसी संरक्षा की पर्याप्त वस्तुएं मुहैया कराता है। स्नो हट्स, प्री-फैब्रिकेटेड शेल्टर्स, मोबाइल/ कंटेनर हाउस, मोबाइल टॉयलेट, स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं, परिवहन संबंधी सुविधाएं, जलपान केंद्र इत्यादि जैसी विभिन्न सुख-सुविधाएं भी मुहैया करायी जाती हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉलों का स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सख्ती से पालन किया जाता है। चिकित्सा सहायता के लिए, बीआरओ की प्रत्येक यूनिट/ कार्य स्थल को प्रथमोपचार, अतिरिक्त जांच कक्ष (एएमआईआर), सेंट्रल चिकित्सा जांच कक्ष (सीएमआईआर) मोबाइल मेडिकल हेल्थ केयर टीम इत्यादि जैसी पर्याप्त चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है।

(ङ): जी, हां। सरकार द्वारा बीआरओ के कार्मिकों और सीपीएल के लिए निम्नलिखित मुआवजा/ बीमा स्कीम प्रदान की जा रही हैं:-

(i) जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स (जीआरईएफ) के कर्मचारियों के साथ-साथ सीपीएल के लिए कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत प्रतिपूर्ति।

(ii) वास्तविक सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करते समय दिवंगत होने वाले जीआरईएफ कार्मिकों को एकमुश्त अनुग्रह प्रतिपूर्ति। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय द्वारा सीपीएल की मृत्यु, स्थायी अथवा आंशिक नि:शक्तता के मामले में उनके निकटतम संबंधी/ वैध उत्तराधिकारी के लिए एकमुश्त अनुग्रह प्रतिपूर्ति राशि अनुमोदित की गई है।

(iii) जीआरईएफ कार्मिकों के लिए केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम।

(iv) बीआरओ द्वारा कार्य पर रखे गए सीपीएल की मृत्यु के मामले में 10 लाख के बीमा कवर के साथ ग्रुप (अवधि) बीमा स्कीम।

*****